# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/52/2016 तारीख रजु 12.05.2016

**उनवान**

जगदीशो देवी पत्नि साहब सिंह जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली

———वादीया

**बनाम**

रामसिंह पुत्र श्री शिवनारायण जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली

———प्रतिवादी

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 16.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा स्थित ग्राम पाली तहसील हिण्डोन के खसरा न. 873/2, 874, 878, 879, 880, 892 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 52/2016 जगदीशो देवी बनाम रामसिंह अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तक्मील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16.03.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 11:50:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner